संलग्नक - 2

(1 जून 2015 का ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 106)

250,000 अमरीकी डालर की उदारीकृत विप्रेषण योजना
के तहत विदेशी मुद्रा खरीदने के लिए आवेदन-सह-घोषणापत्र
(आवेदक द्वारा भरा जाए)

I. आवेदक के ब्योरे

ए. नाम

बी. पता

सी. खाता सं.

डी. स्थायी आयकर संख्या (PAN)

II. अपेक्षित विदेशी मुद्रा के ब्योरे

1. राशि (मुद्रा का विशेष रूप से उल्लेख करें)
2. प्रयोजन

III. निधियों के स्रोत

IV. लिखत का प्रकार

ड्राफ्ट ----------

प्रत्यक्ष विप्रेषण----------

अन्य----------

V. हिताधिकारी के ब्योरे

1. नाम :----------
2. पता :----------
3. देश:----------

*4. बैंक का नाम और पता----------

*5. खाता सं.----------

*(*सिर्फ तभी आवश्यक है जब हिताधिकारी के बैंक खाते में विप्रेषण सीधे जमा किया जाना है)*

आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप मेरे खाते को नाम डालें और विदेशी मुद्रा का विप्रेषण करें/उपर्युक्त ब्योरों के अनुसार ड्राफ्ट जारी करें (जो लागू न हों उसे काट दें)।

VI. चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) --------- के दौरान इस योजना के तहत किए गए विप्रेषणों/लेनदेनों के ब्योरे

क्रमांक----------दिनांक----------राशि----------प्राधिकृत व्यापारी बैंक शाखा/ एफएफएमसी का नाम जिसके मार्फत लेनदेन किया गया।

घोषणा

मैं, ... एतद्द्वारा घोषणा करता/करती

(नाम)

हूं कि आवेदनपत्र की मद सं.VI के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में सभी स्रोतों से खरीदी गई अथवा विप्रेषित की गई विदेशी मुद्रा 250,000 अमरीकी डॉलर (दो लाख पचास हजार अमरीकी डॉलर मात्र) की सीमा के अंदर है जो इस प्रयोजन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित सीमा है तथा प्रमाणित करता/करती हूं कि उपर्युक्त विप्रेषण के लिए इस्तेमाल किए गए निधियों के स्रोत मेरे हैं और इसका उपयोग निषिद्ध प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाएगा।

आवेदक के हस्ताक्षर

(नाम)----------

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि विप्रेषण अपात्र कंपनियों द्वारा/को नहीं किया जा रहा है और यह कि विप्रेषण इस योजना के तहत समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अनुरूप हैं।

हस्ताक्षर

प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और पदनाम :

स्थान :

दिनांक :

स्टाम्प और मोहर